

पचा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 211/2025

1. इकबाल सिंह पुत्र स्व0 बलजीत सिंह अंकवाम जटसिख निवासीयान सिलवाला
2. सिकन्दर सिंह पुत्र प्रताप सिंह खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

- 1 प्रताप सिंह पि0 जलौर सिंह
2. सतनाम सिंह
3. सुखदेव कौर पत्नी बलजीत सिंह
4. सुखजीत कौर पत्नी प्रताप सिंह
5. मनजीत कौर पत्नी सतनाम सिंह अंकवाम जटसिख निवासीयान सिलवाला खुर्द
6. प्रीतम सिंह पुत्र प्रताप सिंह तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. सरबजीत कौर पत्नी इकबाल सिंह
8. सुखराज कौर पुत्री प्रताप सिंह
9. गगनदीप कौर पुत्री प्रताप सिंह
10. गुरप्रीत कौर उर्फ नानकी कौर पुत्री बलजीत सिंह पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी खोथावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. अमनदीप कौर पुत्री बलजीत सिंह पत्नी मनप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी गंगा गौरीवाला तहसील डबवाली जिला शिरसा।
12. कमलजीत कौर पुत्री जालौर सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी कमरांनी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
13. सुखविन्द्र कौर पुत्री जालौर सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 11-12 एस. एल.डबल्यू सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
14. जनकपाल सिंह माता सुखपाल कौर पुत्री जलौरसिंह पत्नी जगसीरसिंह, जाति जटसिख निवासी गंगा तहसील डबवाली जिला शिरसा।
15. जनकपाल सिंह
16. जनकपाल सिंह
17. मुख्तयार कौर पत्नी जालौर सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द. तहसील टिब्बी

28

राजस्व अधिकारी  
जनकपाल कलेक्टर  
टिब्बी

15. जनकपाल

प्रजापति प्रसिद्धि  
सिख  
जटसिख निवासी टिब्बी

जिला हनुमानगढ़।

17. बलकरणसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति जटसिंह निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

18. सुखदेव सिंह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिंह निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

19. तहसीलदार राजरव टिब्बी।

डिक्री

दिनांक 23/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सभूतो एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादी सं० 1 इकबाल सिंह को प्राप्त आराजी:- चक नं० 8 एस. एल. डबल्यू सं० 9/129 में अंकित कुल 2783 है० में से 2530 है०, चकनं० 2 आर डबल्यू बी के खाता सं० 14/13 में कुल 2378 है० में से प्रताप सिंह का 7591/71340 हिस्सा, बलजीत सिंह का 1/6 हिस्सा, सतनाम सिंह का 7591/71340 हिस्सा

ख. प्रतिवादीया सं० वादी सं० 2. सिकन्दर सिंह व प्रतिवादी सं० 6 प्रीतम सिंह को वृ०हि०ब० आराजी:- चक नं० 6 एस. एल. डबल्यू के खाता सं० 84 के प०न० 211/309 मुं० 31 किलानं० 17, 18, 22, 23, 24, 25/1518 है०, प०न० 211/310 मुं० 33 किलानं० 3/1/.151, 3/2/.038 है० रास्ता, 3/3/.025 है० खाला, चकनं० 6 एस.एल. डबल्यू के खाता सं० 117 में कुल 632 है०

ग. प्रतिवादी सं० 1 प्रताप सिंह को प्राप्त आराजी:-चक नं० 4 एनडीआर के खाता सं० 58/86 में अंकित कुल 1.910 है० में प०न० 198/326 मु० 38 किलानं० 16,17/.506, 18/1/1265 पूर्वी दिशा, उत्तर से दक्षिण, 23/1/1/.0565 पूर्वी दिशा, उत्तर से दक्षिण, 24/2/.127, 25/2/.139 है० कुल .955 है०

घ. प्रतिवादी सं० 2 सतनाम सिंह को प्राप्त आराजी:- चक नं० 4 एनडीआर के खाता सं० 58/86 के प०न० 198/326 मु० 38 किलानं० 18/2/.1265 है० पश्चिमी दिशा, उत्तर से दक्षिण, 19, 20/.506, 21/2/.126, 22/1/.127, 23/1/2/0.0645 है० पश्चिमी दिशा, उत्तर से दक्षिण, चक नं० 1 एनडीआर के खाता सं० 38/36 की कुल 443 है०, चकनं० 1 एनडीआर के खाता सं० 70/44 की कुल 962 है० में से जिलावर सिंह का .2405 हिस्सा, चकनं० 1 एनडीआर के खाता सं० 100/100 में कुल .506 है०, चकनं० 1 एनडीआर के खाता सं० 69/35 में कुल 506 है० में से .253 है०

हनुमानगढ़ जिला  
जिला अधिकारी

ड. प्रतिवादी सं० 2 सतनाम सिंह व प्रतिवादीया सं० 5 मनजीत कौर को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी - चक नं० 6 एस. एल. डबल्यू के खाता सं० 84 में कुल 6.072 है० में प०न० 213/308 मु० 20 किलानं० 1 ता 14/3.542 है०, 19, 20/506 है०, प०न० 214/308 मु० 21 किलानं० 1/253, प०न० 211/310 मु० 33 किलानं० 3/1/1039 पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण, चकनं० 6 एस. एल. डबल्यू के खाता सं० 255/197 की कुल 759 है०

चं. प्रतिवादी सं० 18 सुखदेव सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नं० 4 एनडीआर के प०न० 198/326 मु० 38 किलानं० 23/.005 है०

छ. प्रतिवादी सं० 6 प्रीतम सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नं० 6 एस. एल. डबल्यू के खाता सं० 256 में कुल 759 है०, चकनं० 4 एनडीआर के खाता सं० 9/94 में अंकित कुल 0.987 है० ज.प्रतिवादी सं० 7 सर्वजीत कौर पत्नी इकबाल सिंह को प्राप्त आराजी. - चक नं० 654 आर. डी. के खाता सं० 43/47 में कुल 2.783 है० में से प्रताप सिंह के 1/6, बलजीत सिंह के 1/6 हिस्सा. सतनाम सिंह के 1/6 हिस्सा की आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकरचकनं० 6 एस. एल. डबल्यू के खाता सं० 82/70 में से जलावरसिंह का नाम कलमजन, चक नं० 8 एस. एल. डबल्यू के खाता सं० 9/129 से प्रतापसिंह व सतनाम सिंह का नाम कलमजन, चक नं० 2 आर डबल्यू बीए के खाता सं० 14/13 में से प्रतापसिंह, बलजीत सिंह, सतनामसिंह का नाम कलमजन, चक नं० 654 आर.डी. के खाता सं० 43/47 में से प्रतापसिंह, बलजीत सिंह, सतनामसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 6 एस.एल.डबल्यू के खाता सं० 256/198 में से सतनाम सिंह का नाम कलमजन इसी चक के खाता सं० 255/197 में से प्रतापसिंह का नाम कलमजन, चक नं० 4 एनडीआर के खाता सं० 9/94 में से इकबाल सिंह का नाम कलमजन, चक नं० 1 एनडीआर के खाता सं० 100/100 में से सुखदेव कौर, प्रताप सिंह, नानकी कौर, इकबाल सिंह, अमनदीप कौर का नाम कलमजन, चक नं० 1 एनडीआर के खाता सं० 69/35 में से जलावरसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 38/36 में से जलौर सिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 70/44 में से जिलावर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23/6/25  
दफ्तर (राजस्व) न्यायालय (R.A.S.)  
पटवर्मासहायक अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

प्रमाणित प्रतिलिपि